REVIEW OF RESEARCH

'स्नातक स्तर पर अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के मध्य उनके लिए संविधान मे निहित शैक्षिक प्रावधानों की जानकारी का तुलनात्मक अध्ययन'

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

डॉ. अनूप कुमार पोखरियाल[1] , सुमेर चन्द[2]

[1]सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड.
[2]शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, हिमगिरि जी विश्वविद्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड.

सारांश

प्रस्तुत शोध कार्य स्नातक स्तर के अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं में संविधान मे उनके लिए निहित शैक्षिक प्रावधानों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन है। न्यादर्श के रूप में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून तीन विकासखंडो (सहसपुर, चकराता, विकासनगर) के अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को सहजता से उपलब्धता के आधार पर शामिल किया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विद्यालयों में जातिय आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी भी जाति के छात्र को किसी भी संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। परन्तु यह पाया गया है कि अनुसूचित जाति के लोगों में शिक्षा के प्रति अभी तक पूरी जागरुकता नहीं आयी है।

शब्द कुन्जी– अनुसूचित जाति, शिक्षा, जागरूकता, शैक्षिक प्रावधान

प्रस्तावना

मनुष्य जन्म से ही असामाजिक, असमायोजित तथा परिवार, समाज, देश, काल, की परिस्थितियों, परम्पराओं, रिति–रिवाजों एवं संस्कृति से बिल्कुल अपरिचित होता है। धीरे धीरे वह परिवार में अपने माता–पिता व अन्य सदस्यों से समायोजन करना सीखता है। परिवार के संस्कारों, नियमों व आदतों को स्वीकार करने लगता है तथा उनके अनुसार अपने को बनाने का प्रयत्न करने लगता है। यह प्रक्रिया उसके अपने परिजनों के सम्पर्क में आते ही अविरल रुप से प्रारम्भ हो जाती है। बालक का अपने समाज, परिवार, एवं वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना या समायोजित करना ही सीखना है, और सीखने की यह प्रक्रिया ही शिक्षा है। मानव जीवन में यह प्रक्रिया उसके जन्म से लेकर मरण तक चलती रहती है।

इसके साथ ही बालक को उसके परिवार, समाज, एवं वातावरण के साथ अच्छी तरह समायोजन करने एवं उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और बौद्धिक विकास करने की दृष्टि से भी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। यह शिक्षा निश्चित स्थान, निश्चित अवधि, एवं निश्चित पाठयक्रम् द्वारा प्रदान की जाती है जिसके द्वारा बालक को एक स्वस्थ, सभ्य, सुशील, नागरिक बनाकर उसका सर्वागींण विकास किया जाता है। वैदिक काल से ही अनुसूचित जाति जिसे तब शूद्र वर्ण अर्थात वंचित एवं निम्न वर्ग या अछूत आदि विभिन्न संज्ञाओं से पूकारा जाता था, शिक्षा से वंचित रहा है। विभिन्न सामाजिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों तथा प्रथाओं के कारण इस वर्ग को उपेक्षित एवं वंचित रहना पड़ा है। इन्हीं कुरीतियों के चलते वैदिक काल में शूद्रों की शिक्षा प्रतिबंधित थी। उनका स्कूलों, गुरूकूलों, एवं पाठशालाओं में प्रवेश

वर्जित था। जिस कारण वे सदा शिक्षा के लाभ से वंचित रहे हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए जो उन्हें शिक्षा से जोड़ने में काफी हद तक सफल दिखाई पड़ते हैं। यहां पर उन संवैधानिक, अनुच्छेदों का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है।

अनुच्छेद 15–1 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी एक के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15–4 इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 21–(क) राज्य द्वारा छ; से चौदह वर्ष के समस्त बच्चों को उस प्रकार विहित रीति से जैसा विधि द्वारा निर्धारित किया जाये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी।

अनुच्छेद 41– कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार–राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 45– 86 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का अनुच्छेद 3–बाल्यावस्था में देख–भाल तथा छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान– राज्य समस्त बच्चों की बाल्यावस्था में जब तक की वे छः वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते देख–रेख एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा।

अनुच्छेद 51–(क) 11 या ट–जो कोई अभिभावक या संरक्षक हो, वह अपने छः और चौदह वर्ष के बीच के बच्चों, या पाल्यों को, जैसी कि स्थिति हो, शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा।

समस्या का उदगम्

स्वतंत्र भारत में दलितों की शिक्षा हेतु सरकारों ने अथक प्रयास किया, किन्तु फिर भी वर्तमान में अनुसूचित जाति, अर्थात् दलितों की शिक्षा वृद्धि एवं उनके शैक्षिक स्तर में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता। आज भी ये जातियां शिक्षा की दौड़ में पिछड़ी दिखाई देती हैं। क्या कारण है ? यह शोध का विषय है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सरकार द्वारा सम्पूर्ण अवसर एवं आर्थिक सहयोग देने के प्रावधान नियत करने के बावजूद यह वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या सरकार द्वारा उनकी शिक्षा हेतु किये गये प्रावधानों, सुविधाओं के सम्बन्ध में इन वर्गों को जानकारी नहीं है? क्या इन वर्गों के बच्चों के अभिभावकों को इन प्रावधानों एवं सुविधाओं की जानकारी नहीं है? और यदि जानकारी है, तो क्या अपने अधिकारों, अवसरों का लाभ उठाने के लिए ये वर्ग जागरूक नहीं हैं? यह जानने के लिए शोधार्थी ने अपने शोध हेतु उपरोक्त कारणों से उत्पन्न समस्या का चयन किया है।

शोध का औचित्य

विभिन्न शोध कार्यों एंव अध्ययनों के माध्यम से शिक्षा को सर्वग्राही तथा सर्वसुलभ कराने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है। यह दलितों की शिक्षा पर किये गये विभिन्न शोध कार्यों का ही परिणाम है कि आज स्वतंत्र भारत

में दलितों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। दलितों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने तथा उनको देश की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा की प्रकृति, उसके उद्देश्यों, शिक्षण पद्वतियों, शैक्षिक पर्यावरण आदि में सुधार लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इस दृष्टि से शोध कार्यों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य भी अनुसूचित जाति की शिक्षा हेतु किए गए संवैधानिक, एवं शैक्षिक प्रावधानों का अध्ययन करना है। दलितों की शिक्षा में न्यूनाधिक योगदान करने एवं सुधार करने की दृष्टि से यह शोध कार्य सहायक हो सकेगा। जिससे भावी शिक्षा व्यवस्था, व शिक्षा प्रणाली में और अधिक सुधार कर शिक्षा को सर्वग्राही एवं समाजोपयोगी बनाया जा सके।

समस्या कथन–

'स्नातक स्तर के अनुसूचित जाति के छात्रों के मध्य उनके लिए निहित शैक्षिक प्रावधानों के प्रति जागरुकता का का तुलनात्मक अध्ययन'

शोध के उद्देश्य–

- स्नातक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के मध्य उनकी शिक्षा के लिए निहित, शैक्षिक प्रावधानों के प्रति जानकारी का अध्ययन करना ।
- स्नातक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के मध्य उनकी शिक्षा के लिए निहित, शैक्षिक प्रावधानों के प्रति जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

शोध की परिकल्पना

- स्नातक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के मध्य उनकी शिक्षा के लिए निहित, शैक्षिक प्रावधानों के प्रति जागरुकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध अध्ययन का सीमांकन

शोध कार्य उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के तीन विकासखण्डों, विकासनगर, सहसपुर, व चकराता में स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों तक सीमित रखा गया है।

शोध–विधि

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा वर्णनात्मक, सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध जनसंख्या एवं न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के 3 विकासखण्डों सहसपुर, विकासनगर, व चकराता में स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को उपलब्धता के आधार पर शोध न्यादर्श के रुप में शामिल किया गया है। शोधकर्ता द्वारा न्यादर्श का चयन निम्न प्रकार से किया गया है।

छात्र	छात्रायें	कुल संख्या
54	99	153

शोध साहित्य का अध्ययन

एन0सी0ई0आर0टी0–(2010) द्वारा 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में संवर्धन हेतु प्रशिक्षण माड्यूल, अनुसूचित जाति के बच्चों से सम्बन्धित मुद्दे, चुनौतियां' कार्यक्रम के अर्न्तगत अध्ययन के निम्न उद्देश्य तय किये गये ।

1–शिक्षण –प्रशिक्षण सामग्री के निर्माण की दार्शनिकता, औचित्य, और लक्ष्य आदि के साथ अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा देने का महत्व,

2–भारतीय संविधान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाये गये प्रावधान एवं अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश,

3–अनुसूचित जाति की शिक्षा से सम्बन्धित, वर्तमान नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं का ज्ञान,

4–वर्तमान शैक्षिक परिदृश्यों में अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं और समाधान आदि विषय पर अध्ययन किया गया, और अध्ययन में पाया गया कि

1–कक्षा में लड़के और लड़कियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए, अनुसूचित जाति के बच्चों की सहभागिता भी समान रुप से होनी चाहिए, जिससे उनमें हीन भावना उत्पन्न न हो।

2–कक्षा में छात्रों के बीच लिंग भेद व जाति भेद को महत्व नही दिया जाना चाहिए। बच्चों को लिंग में विभक्त करने से असमानता की भावना बढ़ती है। इसलिए सभी को मिलकर शैक्षिक गतिविधियों में संयुक्त रुप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3–कक्षा में सभी बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अभिव्यक्ति करने हेतु वातावरण तैयार किया जाना चाहिए।

4–कक्षा में लिंग, वर्ग, धर्म, जाति, स्थान, एवं वंश या पारिवारिक पृष्ठ–भूमि की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

5–रुढ़िवादी धारणाओं से बचना चाहिए, सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

गुरुपंच के0 एस0 (2016) ने भारत में जनजातियों का विकासः पर्यावरण में भूमिका, विषय पर अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि, हमारे देश में जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों की भूमिका बहुत अधिक है, और देश के विकास के लिए ये सदैव तत्पर रहती हैं,

हरिजन रामसूरत (2017) ने 'अम्बेडकर नगर के अनुसूचित जाति का अध्ययन 2000–2010' किया, और पाया कि अनुसूचित जाति के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति ठीक नही है और इन जातियों की आमदनी भी ठीक नहीं है। जिससे ये अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते हैं। सरकारी अस्पतालों में या तो डाक्टर नही है या जहां पर हैं, वहां लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना स्थिति देखने को मिलती है।

बघेल सुनीता (2017) ने अपना अध्ययन भारत में जनजातिय विकास, एक सैद्वान्तिक विवेचन, विषय पर किया और पाया कि जनजाति के विकास के लिये किए गये संवैधानिक प्रावधानों जो जनजातीय समाज को अन्य समाजों की अपेक्षा विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं

शोध में प्रयुक्त उपकरण

शोध में शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली प्रयुक्त की गयी।

आंकड़ों का विश्लेषण

कथन 1– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15–4 या 29 खण्ड 2 के आधार पर राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष उपाय या उपबन्ध करेगा।

तालिका 1– अनुच्छेद 15–4 के बारे में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की राय

Students	Number of Students	Correct Response	Percentege	Incorrect Response	Percentege
Boys	54	17	31.5%	37	68.5%
Girls	99	43	43.4%	56	56.6%

उपरोक्त तालिका संख्या 1 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15–4 या 29 खण्ड 2 में किए गए प्रावधानों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के 31.5% छात्र तथा अनुसूचित जाति की 43.4% छात्राएं जानकारी रखती हैं। उपरोक्त गणना से विदित होता है कि छात्राओं की जानकारी का प्रतिशत छात्रों की अपेक्षा अधिक है, अर्थात छात्राओं की जानकारी का स्तर बेहतर पाया गया है।

कथन 2– अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता /छुआ छूत का अन्त किया जाता है।

तालिका 2– अनुच्छेद 17 के बारे में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की राय

Students	Number of Students	Correct Response	Percentege	Incorrect Response	Percentege
Boys	54	21	39%	33	61%
Girls	99	47	47.5%	52	52.5%s

तालिका संख्या 2 के अनुसार अनुच्छेद 17 के अर्न्तगत किये गए प्रावधान के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के 39% छात्र तथा अनुसूचित जाति की 47.5% छात्राएं जानकारी रखती हैं। उपरोक्त गणना से विदित होता है कि छात्राओं की जानकारी का प्रतिशत छात्रों की अपेक्षा अधिक है, अर्थात छात्राओं की जानकारी का स्तर बेहतर पाया गया है।

कथन –3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21–क के अनुसार राज्य के सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य रुप से शिक्षा प्रदान की जाएगी।

तालिका–3 अनुच्छेद 21–क के बारे में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की राय

Students	Number of Students	Correct Response	Percentege	Incorrect Response	Percentege
Boys	54	15	28%	39	72%
Girls	99	44	44.4%	55	55.6%

तालिका संख्या 3 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21–क के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के 28% छात्र तथा अनुसूचित जाति की 44.4% छात्राएं जानकारी रखती हैं। आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के छात्रों की अपेक्षा अनुसूचित जाति की छात्राएं अधिक जानकारी रखती हैं।

कथन –4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 खण्ड 2 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा।

तालिका–4 अनुच्छेद 29 खण्ड 2 के बारे में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं की राय

Students	Number of Students	Correct Response	Percentege	Incorrect Response	Percentege
Boys	54	25	46%	29	54%
Girls	99	32	32%	67	68%

उपरोक्त तालिका संख्या 4 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 खण्ड 2 के अर्न्तगत किए गए प्रावधानों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के 46% छात्र तथा अनुसूचित जाति की 32% छात्राएं जानकारी रखती हैं। आंकड़ों के आधार पर विदित होता है कि अनुसूचित जाति के छात्रों की अपेक्षा अनुसूचित जाति की छात्राएं कम जानकारी रखती हैं।

परिकल्पनाओं का परीक्षण

उप परिकल्पना 1–स्नातक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के मध्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के प्रति जागरुकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

कथन–1 विद्यालयों में जाति के आधार पर छात्रों में भेदभाव किया जाता है।

तालिका 5 – छात्र–छात्राओं की राय

Students	Agree	Disagree	Can't say anything	Total	Value of (X^2) chi square	Level of Significance (0.05)
Male Students (fo)	15	35	4	54		**2.96▪ 5.99**
(fe)	10.95	38.83	4.24		**2.96**	
Female Students (fo)	16	75	8	99		**Not Significant**
(fe)	20.10	71.18	7.77			
Total	31	110	12	153		
for df = 2 chi square table value at significant lavel 0.05 = 5.99						

उपरोक्त तालिका 5 में (Chi Square) x^2 का मान 2.96 है। जो कि स्वतत्रता अंश (d f=2) पर काई वर्ग की तालिका मान (0.05 सार्थकता स्तर पर) 5.99 से कम है। अर्थात 0.05 सार्थकता स्तर पर उप परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के जागरुकता का स्तर बराबर पाया गया है, साथ ही अधिकतर छात्र–छात्राएं कथन एक से असहमत पाये गये हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, कि विद्यालयों में जातिय आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।

उप–परिकल्पना–2 स्नातक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के मध्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद–15–4 या 29 खण्ड–2 के प्रति जानकारी में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

कथन–2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों में शिक्षा के प्रति पूरी जागरुकता नहीं आयी।

तालिका –6

Students of SC	Agree	Disagree	Can't say anything	Total	Value of (X^2) chi square	Level of Significance (0.05)
Male Students (fo)	24	25	5	54	3.29	3.29 · 5.99 Not Significant
(fe)	24.36	21.18	8.48			
Female Students (fo)	45	35	19	99		
(fe)	44.65	38.82	15.53			
Total	69	60	24	153		
for df = 2 chi square table value at significant lavel 0.05 = 5.99						

उपरोक्त तालिका 6 में (Chi Square) x^2 का मान 3.29 है। जो कि स्वतत्रता अंश (d f=2) पर काई वर्ग की तालिका मान (0.05 सार्थकता स्तर पर) 5.99 से कम है। अर्थात 0.05 सार्थकता स्तर पर परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के जागरुकता का स्तर लगभग समान पाया गया है साथ ही छात्र–छात्राओं का कथन 2 से सहमति एवं असहमति का स्तर भी लगभग बराबर है, इससे यह स्पष्ट होता है, कि अनुसूचित जाति के लोगों में शिक्षा के प्रति अभी तक पूरी जागरुकता नहीं आयी है।

उप परिकल्पना 3 स्नातक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के मध्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद–15–1 के प्रति जानकारी में सार्थक अन्तर नहीं है।

कथन–3 किसी भी जाति का छात्र किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में शिक्षा हेतु प्रवेश ले सकता है।

तालिका –7

Students of SC	Agree	Disagree	Can't say anything	Total	Value of (X^2) chi square	Level of Significance (0.05)
Male Students (fo)	47	4	3	54	10.35	**10.35 > 5.99 significant**
(fe)	46.95	4.95	2.12			
Female Students (fo)	86	10	3	99		
(fe)	86.06	9.06	3.88			
Total	133	14	6	153		
for df = 2 chi square table value at significant lavel 0.05 = 5.99						

तालिका 7 में (Chi Square) का मान 10.35 है। जो कि स्वतत्रता अंश (d f=2) पर काई वर्ग की तालिका मान (0.05 सार्थकता स्तर पर) 5.99 से अधिक है। अर्थात 0.05 सार्थकता स्तर पर परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं की जागरुकता का स्तर समान पाया गया है, जबकि कुछ छात्र छात्राएं कथन 11 असहमत हैं इससे यह स्पष्ट होता है, किसी भी जाति के छात्र को किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में प्रवेश मिलने के सम्बन्ध में सभी छात्र छात्राओं का दृष्टिकोण एक नहीं है।

उप परिकल्पना 4– स्नातक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के मध्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21–क के प्रति जानकारी में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

कथन 4– 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा दे रही है।

तालिका –8

Students of SC	Agree	Disagree	Can't say anything	Total	Value of (X^2) chi square	Level of Significance (0.05)
Male Students (fo)	41	9	4	54	0.61	5.99 Not Significant
(fe)	42.35	7.42	4.24			
Female Students (fo)	79	12	8	99		
(fe)	77.65	13.59	7.76			
Total	120	21	12	153		
for df = 2 chi square table value at significant lavel 0.05 = 5.99						

उपरोक्त तालिका 8 में Chi Square का मान 0.61 है। जो कि स्वतत्रता अंश (d f=2) पर काई वर्ग की तालिका मान (0.05 सार्थकता स्तर पर) 5.99 से कम है। अर्थात 0.05 सार्थकता स्तर पर परिकल्पना स्वीकार की जाती हैं

अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के जागरुकता का स्तर समान पाया गया है, साथ ही अधिकतर छात्र–छात्राएं कथन 4 से सहमत हैं, इससे यह स्पष्ट होता है, 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रही है।

निष्कर्ष–

1 तालिका **5** में (Chi Square) x^2 का मान 2.96 है। जो कि स्वतत्रता अंश (d f=2) पर काई वर्ग की तालिका मान (0.05 सार्थकता स्तर पर) 5.99 से कम है। अर्थात 0.05 सार्थकता स्तर पर उप परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के जागरुकता का स्तर बराबर पाया गया है साथ ही अधिकतर छात्र–छात्राएं कथन एक से असहमत पाये गये हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, कि विद्यालयों में जातिय आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।

2– तालिका 6 में (Chi Square) x^2 का मान 3.29 है। जो कि स्वतत्रता अंश (d f=2) पर काई वर्ग की तालिका मान (0.05 सार्थकता स्तर पर) 5.99 से कम है। अर्थात 0.05 सार्थकता स्तर पर परिकल्पना स्वीकार की जाती हैं। अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के जागरुकता का स्तर लगभग समान पाया गया है साथ ही छात्र–छात्राओं का कथन 2 से सहमति एवं असहमति का स्तर भी लगभग बराबर हैं इससे यह स्पष्ट होता है, कि अनुसूचित जाति के लोगों में शिक्षा के प्रति अभी तक पूरी जागरुकता नहीं आयी है।

3– तालिका 7 में (Chi Square) x^2 का मान 10.35 है। जो कि स्वतत्रता अंश (d f=2) पर काई वर्ग की तालिका मान (0.05 सार्थकता स्तर पर) 5.99 से अधिक है। अर्थात 0.05 सार्थकता स्तर पर परिकल्पना अस्वीकार की जाती हैं। अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के जागरुकता का स्तर समान पाया गया है, साथ ही अधिकतर छात्र–छात्राएं कथन 11 से सहमत हैं इससे यह स्पष्ट होता है, किसी भी जाति के छात्र को किसी भी संस्थान में प्रवेश मिल सकता है।

4– तालिका 8 में (Chi Square) x^2 का मान 0.61 है। जो कि स्वतत्रता अंश (d f=2) पर काई वर्ग की तालिका मान (0.05 सार्थकता स्तर पर) 5.99 से कम है। अर्थात 0.05 सार्थकता स्तर पर परिकल्पना स्वीकार की जाती हैंA अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के जागरुकता का स्तर समान पाया गया है, साथ ही अधिकतर छात्र–छात्राएं कथन 4 से सहमत हैं इससे यह स्पष्ट होता है, 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 –एन0सी0ई0आर0टी0 (2010) 'गुणवततापूर्ण शिक्षा में संवर्धन हेतू प्रशिक्षेण माड्ल' पृष्ठ–164–167

2– गुरुपंच के0 एस0 (2016) **ANNALS OF ART, CULTURE & HUMANITIES** भारत में जनजातियों का विकासः पर्यावरण में भूमिका, **ISSN-2455-5843 Volume I, Issue I, February 2016, pp. 10-15**

3– बघेल सुनीता `(2017) भारत में जनजातीय विकास : एक सैद्धान्तिक विवेचन **International Journal of Advanced Research and Development ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24 Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 385-388**

4– हरिजन रामसूरत (2017) 'शोध प्रबन्ध' बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, पृष्ठ–6–7